इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी 2018-माघ 7, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

आदेश

क्र. एफ-बी-04-03-2018-2-पांच-(05).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, ग्वालियर द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर, उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क समेकित किया जा सकेगा तथा उसका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी शासकीय कोषालय में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगा अर्थात्:—

- (1) ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान समेकित रीति से कर दिया गया है. ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा.
- (2) मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी कोषालय में जमा की गई समेकित रकम रुपए 1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपए) केवल के भुगतान के चालान की प्रति के लिए आंचलिक उप-महानिरीक्षक पंजीयन, ग्वालियर के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.
- (3) उस अवधि के, जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है समाप्त होने के तुरन्त बाद, बीमित राशि की पॉलिसी क्रमांक तथा दो तिमाही के अन्त में पॉलिसियों पर भुगतान किए गए शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी आंचलिक उप-महानिरीक्षक पंजीयन ग्वालियर के कार्यालय को प्रस्तुत की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2018

क्र. एफ-बी-04-03-2018-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-04-03-2018-2-पांच (05), दिनांक 27 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **एस. डी. रिछारिया,** उपसचिव.

Bhopal, the 27th January 2018

ORDER

No. F-B-04-03-2018-2-V(05).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Life Insurance Corporation of India, Gwalior during the financial year 2017-18 may be consolidated and paid into any Government Treasury of Madhya Pradesh on the following conditions namely:—

- (1) It shall be indicated by endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the aforesaid manner. Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.
- (2) A Copy of the Challan of payment of consolidation amount of Rs. 1.00 Crore (Rupees One Crore) only, in any Government Treasury of Madhya Pradesh for submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Gwalior.
- (3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp Duty paid on the policies at the end of two quarter shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Gwalior.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, S. D. RICHHARIA, Dy. Secy.